न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 51/2019

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 11/19

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश गुर्जर पुत्र श्री लालाराम गुर्जर निवासी –भिंया कृषि फार्म हाउस,ग्राम खुडनाडा, बलवन्ता, अजमेर, पुलिस थाना–नसीराबाद सदर।
2. श्री जिन्दल गैस एजेन्सी, आदर्श नगर, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1 श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
2. श्री उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 06.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) को अप्रार्थी सं0 01 के आवास पर एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की प्राप्त शिकायत पर दिनांक 19.6.2019 को श्री संजय माथुर जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रार्थी, अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुरेन्द्र भारती एवं श्री कृष्णकुमार बायंला प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अप्रार्थी के खुडनाडा स्थित सुनसान स्थान पर बने मकान एवं बाडे की जांच की गई। पशुओं के बाडे में कुल 14 सिलेण्डर जिनमें 7 घरेलू (14.2 किग्रा क्षमता)6 व्यवसायिक (19 किग्रा क्षमता) एवं एक छोटा (5 किलोग्राम क्षमता का) व्यवसायिक सिलेण्डर, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे रखे पाये गये। तौल कॉटे से वजन कराने पर इन सिलेण्डरों में कुल 192.4 किलोग्राम एलपीजी गैस भरी होना पाया गया। द्वितीय स्थान, लोहे की अस्थाई केबिन में 31 व्यवसायिक श्रेणी सिलेण्डर, खाली (19 किग्रा क्षमता के एच.पी के –5, आईओसी के –9, बीपीसी के 17) तथा तृतीय स्थान, वाहन संख्या– RJ01GC-2750 महेन्द्र बोलेरो पिकअप जो श्री सुरेश के नाम रजिस्टर्ड है में 30 व्यवसायिक सिलेण्डर जिनमे आईओसी के –3, बी.पी.सी के–27 के अनसील्ड जिनमें 12 गैस से भरे तथा 18 खाली पाए गये जिनमें 228.4 किग्रा गैस भरी होना पाया गया। वाहन पर भारत गैस एल. पी.जी.वाहन लिखा था किन्तु अप्रार्थी के पास इस सम्बन्ध में भारत गैस परिवहन, भण्डारण का अनुमति पत्र नहीं पाया गया। अप्रार्थी सुरेश के द्वारा गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई बिल, बाउचर, गेट पास, परिवहन चालान, उपभोक्ता डायरी आदि कोई दस्तावेज जांच दल के समक्ष पेश नहीं किये गये। पूछताछ में अप्रार्थी सुरेश द्वारा मैसर्स जिन्दल गैस एजेन्सी, आदर्श नगर, अजमेर के लिए गैस का व्यवसाय करना स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सुरेश द्वारा बिना वैद्य अनुमति/अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से अलग–अलग कम्पनियों के एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाना अवैध रूप से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में रिफलिंग किये जाने के अवैध व्यवसाय को साबित करता है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा विस्फोटक नियंत्रक विभाग की बिना अनुज्ञप्ति/अनुमति के सिलेण्डर भण्डारण कें कारण उपरोक्त कुल 75 सिलेण्डर (7 घरेलू, 01 एन.डी. छोटा, 67 एन.डी. बडे) मय 420.08 किग्रा एलपीजी, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे, के कब्जेराज लेकर, तौल कर श्री अनुराग गढवाल कार्मिक नसीराबाद एच.पी.गैस को सुपुर्दगी में दिये गये। पिकअप वाहन RJ01GC-2750

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

महेन्द्र बोलेरो को कब्जे राज लिया जाकर पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सुपुर्दगी में संभलाया गया। अप्रार्थी सुरेश का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (क)(घ) 6, 7, (ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 75 गैस सिलेण्डर मय 420.08 एल.पी. जी. गैस, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे एवं पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 द0प्र0संहिता वास्ते पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 को सुपुर्दगी में दिए जाने का प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला रसद अधिकारी से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अवैध गैस भण्डारण की सूचना पर दिनांक 19.06.2019 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के नेतृत्व में प्रार्थी, एवं अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुरेन्द्र भारती एवं श्री कृष्णकुमार बायंला प्रवर्तन निरीक्षकगण के द्वारा अप्रार्थी के खुडनाडा स्थित सुनसान स्थान पर बने मकान एवं बाडे की जांच में मौके पर पशुओं के बाडे, लोहे की केबिन एवं पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो में कुल मिलाकर 75 सिलेण्डर (7 घरेलू, 01 एन.डी. छोटा, 67 एन.डी. बडे) मय 420.08 किग्रा एलपीजी, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे, बिना वैद्य अनुज्ञप्ति/अनुमति के अवैध रूप से भण्डारित करना पाया गया। उक्तानुसार अलग–अलग श्रेणी एवं अलग–अलग कम्पनी के एल.पी.जी. सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, सिलेण्डरों से एलपीजी गैस का एक से दूसरे सिलेण्डरों में ट्रान्सफर करने के अवैध व्यवसाय किया जाना जाहिर करता है। अप्रार्थी सुरेश का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (क)(घ) 6, 7, (ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 75 गैस सिलेण्डर मय 420.08 एल.पी.जी. गैस, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे एवं पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए निवेदन किया कि अवैध रूप से गैस सिलेण्डर भण्डारण करने के कथन मनगढन्त एवं गलत है। अप्रार्थी संख्या 01 गोदाम से सिलेण्डर लेकर आया था, दोपहर का समय होने के कारण तत्समय वह वाहन बाहर खडा कर घर पर भोजन करने गया था। किसी के द्वारा झूठी शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी खेती बाडी का काम करता है। अप्रार्थी संख्या 01 अपने मालिक के कहे अनुसार भरे हुए सिलेण्डर गैस गोदाम से लाकर उनके कहने/मैसेज के अनुसार भरे हुए सिलेण्डर देकर खाली लेकर अपने कब्जे में सुरक्षित रखता है। पिकअप वाहन के द्वारा सिलेण्डर गन्तव्य स्थान तक पहूँचाने का कार्य करता है। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के वाहन को गैस सिलेण्डर के परिवहन के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए वाहन पर भारत गैस एलपीजी वाहन लिखा हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई बदनियति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा रसद अधिकारियों को कागजात दिखाये परन्तु उनके द्वारा इन्कार करते हुए कागजात न्यायालय में दिखाने का कहा गया। अपनी बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अप्रार्थी ने निवेदन किया कि बेरोजगार होने पर अप्रार्थी द्वारा, पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 महेन्द्र कोटक से ऋण लेकर लिया गया है जो कि अप्रार्थी/प्रार्थी के परिवार के रोजी रोटी का एक मात्र साधन है जिसके जब्त किये जाने से अप्रार्थी को काफी आर्थिक हानि एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है। थाने में खुले में खडे रहने से वाहन के क्षतिग्रस्त एवं खराब होने की संभावना

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

है। अप्रार्थी/प्रार्थी न्यायालय की प्रत्येक शर्त की पालना को तैयार है। अतः अप्रार्थी का पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी संख्या 01 के खुडनाडा स्थित सुनसान स्थान पर बने मकान एवं बाडे की जांच में मौके पर पशुओं के बाडे, लोहे की केबिन एवं पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 में कुल मिलाकर 75 सिलेण्डर (7 घरेलू, 01 एन.डी. छोटा, 67 एन.डी. बडे) मय 420.08 किग्रा एलपीजी, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे, बिना वैद्य अनुज्ञप्ति/अनुमति के भण्डारित पाये गये। उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (क)(घ) 6, 7, (ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त 75 गैस सिलेण्डर मय 420.08 एल.पी.जी. गैस, दो इलेक्ट्रोनिक कॉटे को राजसात किया जाता है। चूंकि जप्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध भण्डारण/परिवहन के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 पर रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार मात्र) की जुर्माना राशि कायम की जाती है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर पिक अप वाहन महेन्द्रा बोलेरो संख्या RJ01 GC 2750 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) दर्ज फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner